Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[L.D. Appeal Case No.-04/2024]

Md. Mazlum ....Appellants.

Versus

Md. Mustafa & Anr. ....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	24.1.2026	(see order below)	

24.1.2026

आदेश

यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-18/2023-24 में दिनांक-14.11.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
बनमनखी	जानकीनगर/10	341	3460	16डी.

दिनांक 08.1.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। विपक्षी की ओर से Written Note of Argument दाखिल है। अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन पर वे आवासीय घर के साथ-साथ बाड़ी-झाड़ी बनाकर 50 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं। तथा यह कि अंचल अधिकारी, बनमनखी के प्रतिवेदन (दिनांक-23.7.2017) के अनुसार मौजा-जानकीनगर, थाना सं0-10, खाता-1102, खेसरा संख्या-3460, रकवा-4.10 एकड़ की भूमि को गैर मजरूआ सर्वसाधारण आम भूमि के रूप में दर्शाया गया है। इसलिए प्रश्नगत भूमि को किसी व्यक्ति के द्वारा क्रय-विक्रय किया जाना कानूनन गलत है। जबकि विपक्षी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि रैयती है तथा उनके द्वारा निबंधित केवाला संख्या-883, दिनांक-02.2.1990 के द्वारा वैध भू-धारी से क्रय किया गया, जिसके उपरान्त उनके पक्ष में नामान्तरण होने के पश्चात जमाबंदी संख्या-2515 कायम हुआ। तथा यह कि वे सरकार को अद्यतन भू-लगान भुगतान कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि प्रश्नगत जमीन उनके घर से 5 कि.मी. दूर है जिसके कारण अपीलार्थी उनके 08 डी. भूमि पर अतिक्रमण करते हुए घर बना लिया गया है। साथ ही विपक्षी के द्वारा प्रश्नगत जमीन से अपीलार्थी के अवैध कब्जा को हटाते हुए नापी एवं सीमांकन कराने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रश्नगत जमीन पर अपीलार्थी द्वारा बिना किसी वैध कागजात के दखल-कब्जा किया गया है। कागजातों के आधार पर यह भी स्थापित हो रहा है कि प्रश्नगत खाता-खेसरा की जमीन विपक्षी के विक्रेता फजीलत हुसैन के पिता खुबलाल मियाँ के नाम से खतियान में दर्ज है। अपीलार्थी की ओर से संदर्भित अंचल अधिकारी, बनमनखी का प्रतिवेदन (दिनांक-23.7.2017) प्रश्नगत भूमि से संबंधित नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत जमीन का सरकारी जमीन रहने के संबंध में किया जा रहा दावा विधिमान्य नहीं है। सुनवाई में अपीलार्थी की ओर से अपने दावे के संबंध में

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

R.

	24.1.2026	कोई संगत साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया गया है । तदनुसार निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है । अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है । आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें । Braja K. 24/1/2026. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया । लेखापित एवं शुद्धित । Braja K. 24/1/2026. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया । आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया	